

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, मा०प्र०से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 12/03/24

विषय-

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" के तहत निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन कुल मो० 38.603 लाख (अड़तीस लाख साठ हजार तीन सौ) रुपये मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के साथ व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-4405-मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 38.603 लाख (अड़तीस लाख साठ हजार तीन सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु० में)

क्रम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु० में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर
1	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, धुर्वा, राँची में मत्स्य कृषकों के प्रशिक्षण हेतु नये मत्स्य प्रसंस्करण भवन का निर्माण कार्य	38,60,300/-	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 18.12.2023 को।
कुल योग:		38,60,300/-	

3. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय राज्यादेश सं० 16 रा० (वि०) दिनांक 24.07.2023 द्वारा "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत बजट शीर्ष-2405-मछली पालन में उपबंधित राशि मो० 960.00 लाख रु० मात्र में से मो० 954.96 लाख (नौ करोड़ चौवन लाख छियानवे हजार) रु० मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा मुख्य शीर्ष-4405-मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा -

(क) माँग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय (राशि लाख रु० में)

क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	5	6
1	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-71- मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना-विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079671010545	40.00	38.603	1.397
कुल योग :		40.00	38.603	1.397

कुल मो० 38.603 लाख (अड़तीस लाख साठ हजार तीन सौ) रु० मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।
6. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, राँची को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
8. तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।
9. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।
10. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
11. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
12. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
14. वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष-2405 एवं मुख्य शीर्ष-4405 मिलाकर कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 1150.00 लाख रु0 मात्र (संशोधित बजट उपबंध मो0 1000.00 लाख रु0 मात्र) में मो0 647.47 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है।
15. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 51/10/190/राँची, दिनांक 12/03/24

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/11/24

रखी

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 57/10/91/रॉची, दिनांक 12.10.24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

उप-  
सचिव